



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, शनिवार, 9 जनवरी, 2021

पौष 19, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 76/79-वि-1-21-2(क)-1-2021

लखनऊ, 9 जनवरी, 2021

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2021) जिससे आयुष अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2021

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2021)

[भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2020 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :-

1-यह अध्यादेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2021 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 6
सन् 2020 का
सामान्य संशोधन

2-राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2020 में संक्षिप्त नाम, दीर्घ नाम, शीर्षको सहित शब्द 'उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय', जहाँ कहीं आए हों, के स्थान पर शब्द "महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर" रख दिये जायेंगे।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 76(2)/LXXIX-V-1-21-2(ka)-1-2021

Dated Lucknow, January 9, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Rajya Ayush Vishwavidyalaya, Uttar Pradesh (Sanshodhan) Adhyadesh, 2021 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 1 of 2021) promulgated by the Governor. The Ayush Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE STATE AYUSH UNIVERSITY, UTTAR PRADESH
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2021

(U.P. ORDINANCE NO. 1 OF 2021)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-first Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the State Ayush University, Uttar Pradesh Act, 2020.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him/her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title

1. This Ordinance may be called the State Ayush University, Uttar Pradesh (Amendment) Ordinance, 2021.

General

Amendment
of U.P. Act
no. 6 of 2020

2. In the State Ayush University, Uttar Pradesh Act, 2020 for the words 'Uttar Pradesh State Ayush University' wherever occurring including the short title, long title, headings, the words "Maha Yogi Guru Gorakhnath Ayush University, Gorakhpur" shall be substituted.

ANANDIBEN PATEL,

Governor,

Uttar Pradesh.

By order,

ATUL SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 611 राजपत्र-2021-(1223)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 171 सा० विधायी-2021-(1224)-300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।